FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम समयदीन**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/140/2022 दा0दि0 27.04.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2022	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी संजय कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम गोमला तहसील व थाना कनीना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन टाटा रजि0 सं0 एच.आर. 66 ए. 2838 धारा 3, 5, 6, 8 आर.बी.एक्ट व धारा 16/54 राज0 आबकारी अधिनियम के तहत थाना शाहजहांपुर द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना शाहजहांपुर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन टाटा रजि0 सं0 एच.आर. 66 ए. 2838 को आबकारी अधिनियम में सुपुर्द करने के प्रावधान केवल आबकारी आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते है। इसलिए उक्त वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी शाहजहांपुर जप्तशुदा वाहन टाटा रजि0 सं0 एच.आर. 66 ए. 2838 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	